



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102022-239668
CG-DL-E-14102022-239668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4686]
No. 4686]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4896(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम की विरचना करती है, अर्थात् :-

- (1) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 है।
(2) यह स्कीम 1 अगस्त, 2017 को लागू हुई समझी जाएगी।
(3) यह स्कीम उन अधिकारियों पर लागू होगी, जो 1 अगस्त, 2017 को, या उसके पश्चात् से निगम या कंपनी की सेवा में थे: परंतु वे अधिकारी, जिनके त्यागपत्र स्वीकार किए जा चुके थे या जिनकी सेवाएं 1 अगस्त, 2017 और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख की अवधि के दौरान समाप्त की जा चुकी थी, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।
- साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1975 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है), पैरा 3 में, खंड (ढक) और (ढख) में, "चौदहवीं अनुसूची" शब्दों के स्थान पर, "सोलहवीं अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त स्कीम में, पैरा 4 में, उप-पैरा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 "(12) 1 अगस्त, 2017 से, प्रत्येक अधिकारी का वेतन और भत्ते इस स्कीम से उपाबद्ध सोलहवीं अनुसूची के अनुसार होंगे:
 परंतु अधिकारी यह चयन कर सकेगा कि उसका मूल वेतन सोलहवीं अनुसूची के निबंधनानुसार किसी ऐसी तारीख से नियत किया जाए, जो 1 अगस्त, 2017 से पूर्व न हो और साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् की न हो, उस दशा में वह ऐसे चयन की सूचना लिखित रूप में ऐसी अवधि के भीतर, जो यथास्थिति, निगम या कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा विहित की जाएगी, निगम या कंपनी को देगा:
 परंतु यह और कि ऐसी चुनी गई तारीख से पहले की अवधि के लिए उस अधिकारी को बकाया का संदाय नहीं किया जाएगा।"
4. उक्त स्कीम में, पैरा 9 में, स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, उप-खंड (खघ) के पश्चात्, निम्न उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 "(खड.) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से भिन्न अधिकारियों की दशा में, 1 अगस्त, 2017 को आरंभ होने वाली अवधि के लिए सोलहवीं अनुसूची के अनुसार।"
5. उक्त स्कीम में, पंद्रहवीं अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

'सोलहवीं अनुसूची

[पैरा 3, खंड (ढक) और (ढख) और पैरा 4, उप-पैरा (11) देखें]

I. वेतन मान (मूल वेतन):

- (1) सोपान VII
 155015-4170(2)-163355-4470(1)-167825-4890(1)-172715-5070(4)-192995
- (2) सोपान VI
138335-4170(8)-171695
- (3) सोपान V
 123605-3570(3)-134315-4020(6)-158435
- (4) सोपान IV
 102185-3570(9)-134315
- (5) सोपान III
 83425-2500(1)-85925-2710(6)-102185-3570(4)-116465
- (6) सोपान II
 68425-2500(7)-85925-2710(6)-102185
- (7) सोपान I
 50925-2500(14)-85925-2710(4)-96765

II. मूल वेतन का नियतन और वृद्धिरुद्ध चरण:

सारिणी- क

मूल वेतन का नियतन

(अंक रूप में)

सोपान I		सोपान II		सोपान III		सोपान IV		सोपान V		सोपान VI		सोपान VII	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
32795	50925	44065	68425	53725	83425	65805	102185	79605	123605	89095	138335	99835	155015
34405	53425	45675	70925	55335	85925	68105	105755	81905	127175	91780	142505	102520	159185
36015	55925	47285	73425	57080	88635	70405	109325	84205	130745	94465	146675	105205	163355

37625	58425	48895	75925	58825	91345	72705	112895	86505	134315	97150	150845	108085	167825
39235	60925	50505	78425	60570	94055	75005	116465	89095	138335	99835	155015	111235	172715
40845	63425	52115	80925	62315	96765	77305	120035	91685	142355	102520	159185	114500	177785
42455	65925	53725	83425	64060	99475	79605	123605	94275	146375	105205	163355	117765	182855
44065	68425	55335	85925	65805	102185	81905	127175	96865	150395	107890	167525	121030	187925
45675	70925	57080	88635	68105	105755	84205	130745	99455	154415	110575	171695	124295	192995
47285	73425	58825	91345	70405	109325	86505	134315	102045	158435				
48895	75925	60570	94055	72705	112895								
50505	78425	62315	96765	75005	116465								
52115	80925	64060	99475										
53725	83425	65805	102185										
55335	85925												
57080	88635												
58825	91345												
60570	94055												
62315	96765												

सारिणी - ख

[पैरा 8क देखें]

मूल वेतन का निर्धारण और वृद्धिरुद्ध चरण

(अंक रुपए में)

सोपान I		सोपान II		सोपान III	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
64060	99475	67550	104895	77305	120035
65805	102185	69295	107605	79605	123605
67550	104895	71040	110315		
		72785	113025		
		74530	115735		

टिप्पण : ऊपर सारणियों में "विद्यमान मूल वेतन" पद से चोदहवीं अनुसूची के अनुसार यथा लागू मूल वेतन अभिप्रेत है।

III. महंगाई भत्ता:

(1) अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का परिमाण निम्नानुसार अवधारित किया जाएगा:-

सूचकांक : औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : शृंखला 1960=100 में सूचकांक सं. 6352

महंगाई भत्ते की दर:- 6352 अंकों के ऊपर त्रैमासिक औसत में चार अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के 0.08 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण:- महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा।

- (2) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) में 6352 अंकों से ऊपर त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर 6352-6356-6360-6364 आदि की श्रृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय महंगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण होगा और चालू औसत अंक ऊपर उस श्रृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अंतिम पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होती है तो महंगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा। नीचे की ओर पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में कोई अंक है तो संदेय ऊपर महंगाई भत्ता उस चालू औसत अंक के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता ऊपर श्रृंखला में के उस अंक के समरूप होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले है।
- (3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में प्रकाशित औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) के अंतिम आंकड़े, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।
- (4) किसी भी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत अंक में बदलावों के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण तिमाही के अंत के पश्चात् केवल दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस मद के प्रयोजन के लिए, "तिमाही" से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के मास के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

IV. मकान किराया भत्ता:

- (1) 1 अगस्त, 2017 से, प्रत्येक अधिकारी को संदेय मकान किराया नीचे सारिणी में उपदर्शित अनुसार संदेय होगा:-

सारिणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
1	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव शहर	अधिकतम 7,840/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन का 10% प्रति मास
2	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित शहर, और गोवा राज्य में सभी शहर	अधिकतम 6,620/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन का 8% प्रति मास
3	अन्य सभी स्थान	6,370/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन का 7% प्रति मास

- टिप्पण:**
- (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
 - (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।
 - (3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 8क के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।
- (2) ऐसे अधिकारी जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा आवास स्थान आवंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे, जिसे समय-समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिश्चित किया जाए और वे इस मद की उपमद (1) के निबंधनों के अनुसार मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

V. नगर प्रतिकर भत्ता:

- 1 अगस्त, 2017 से, प्रत्येक अधिकारी को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे सारिणी में उपदर्शित अनुसार संदेय होगा:-

सारिणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	दर
1	(मेट्रो शहर) मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव	अधिकतम 1,960/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 3% प्रति मास
2	(क वर्ग) 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित शहर, और गोवा राज्य में सभी शहर	अधिकतम 1,865/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5% प्रति मास
3	(ख वर्ग) 5 लाख और उससे ऊपर और 12 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर, 12 लाख तक की जनसंख्या वाली राज्य राजधानियाँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर	अधिकतम 1,445/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2% प्रति मास
4	(ग वर्ग) अन्य सभी शहर	कुछ नहीं

- नोट:**
- (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
 - (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।
 - (3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 8क के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता:

साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् मास के पहले दिन से, अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे सारिणी में उपदर्शित अनुसार संदेय होगा :-

सारिणी

क्रम सं.	तैनाती के स्थान की ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर)	दर
1	1500 मीटर और उससे अधिक	अधिकतम 1,245/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2.5% की दर से
2	1000 मीटर से अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम, मर्करा और वे स्थान जिन्हें केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है।	अधिकतम 1,000/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2% की दर से
3	कम से कम 750 मीटर और जो 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ हो और जहाँ केवल उन्हीं के माध्यम से पहुँचा जा सकता हो	अधिकतम 1,000/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2% की दर से

टिप्पण: "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 8क के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

VII. किट भत्ता:

साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन से, प्रत्येक अधिकारी को उसका स्थानांतरण किसी ऐसे पर्वतीय स्थान पर, जहाँ इस अनुसूची की मद VI के निबंधानुसार पर्वतीय स्थान भत्ता संदेय है, किए जाने पर, उसे 9,000/- रुपए किट भत्ता संदेय किया जाएगा:

परंतु कोई भी किट भत्ता संदेय नहीं होगा यदि उस अधिकारी ने ऐसा भत्ता पहले किसी भी समय लिया हो।

VIII. नियत वैयक्तिक भत्ता:

1 अगस्त, 2017 से, प्रत्येक अधिकारी को संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे सारिणी में उपदर्शित अनुसार संदेय होगा:-

सारिणी

क्रम सं.	अधिकारी का 01.11.1993 को वेतन मान	संशोधित नियत वैयक्तिक भत्ता (एफपीए) (रुपए):
1	सोपान VII	5070
2	सोपान VI	4170
3	सोपान V	4020
4	सोपान IV	3570
5	सोपान III	3570
6	सोपान II	2710
7	सोपान I	2710

टिप्पण: संशोधित निश्चित व्यक्तिगत भत्ता मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के उद्देश्य के लिए मूल वेतन माना जाएगा।

IX. परिवहन भत्ता:

1 अगस्त, 2017 से, प्रत्येक अधिकारी, जिसे किसी भी वाहन स्कीम के अधीन सवारी भत्ता / परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता हो या जिसे सवारी / परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती हो, उसे प्रति मास 1,960/- रुपए परिवहन भत्ता संदेय होगा।

X. पारादीप पत्तन भत्ता:

साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् के मास के पहले दिन या नियुक्ति की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से पारादीप पोर्ट में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक स्थायी अधिकारी को जब तक वह उस कार्यालय में तैनात हो, प्रति मास 265/- रुपए का भत्ता संदेय होगा। यह भत्ता किसी भी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं माना जाएगा।

XI. अगस्त 2022 से होने वाला अगला पुनरीक्षण कंपनी और कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्तित वेतन के रूप में होगा।

[फा. सं. एस – 11012/06/2019 - बीमा I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतन मानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण), स्कीम, 1975 को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित किया गया। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने पर निगम या कंपनी के किसी भी अधिकारी के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल स्कीम संख्याक का.आ. 521(अ) तारीख 17 सितम्बर, 1975 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी और संख्याक का.आ. 611(अ) तारीख 9 फरवरी, 2021, द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2022

S.O. 4896(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to

amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, namely :-

1. (1) Short title, commencement and application.—This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2022.
- (2) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.
- (3) This Scheme shall be applicable to those officers, who were in the service of the Corporation or Company as on, or after, the 1st day of August, 2017:

Provided that the officers, whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st day of August, 2017 and the date of publication of this Scheme, shall not be eligible for the arrears on account of revision under this Scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, in clauses (na) and (nb), for the words “Fourteenth Schedule”, the words “Sixteenth Schedule” shall be substituted.
3. In the said Scheme, in paragraph 4, after sub-paragraph (11), the following sub-paragraph shall be inserted, namely: -

“(12) With effect from the 1st day of August, 2017, the pay and allowances of every officer shall be in accordance with the Sixteenth Schedule appended to this Scheme:

Provided that the officer may choose that his basic pay may be fixed in terms of the Sixteenth Schedule with effect from any date not earlier than the 1st day of August, 2017 and not later than the date of publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within such period as may be prescribed by the Chairman-cum-Managing Director of the Corporation or Company, as the case may be:

Provided further that no arrears for the period prior to the date so chosen shall be payable to such officer”.

4. In the said Scheme, in paragraph 9, in the Explanation, in clause (iii), after sub-clause (bd), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
- “(be) in the case of officers other than the Chairman-cum-Managing Director, for the period commencing on the 1st day of August, 2017, as per Sixteenth Schedule.”.
5. In the said Scheme, after the Fifteenth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely:-

‘SIXTEENTH SCHEDULE

[See paragraph 3, clauses (na) and (nb) and paragraph 4, sub-paragraph (11)]

I. Pay Scales (Basic Pay):

- (1) Scale VII
155015-4170(2)-163355-4470(1)-167825-4890(1)-172715-5070(4)-192995
- (2) Scale VI
138335-4170(8)-171695
- (3) Scale V
123605-3570(3)-134315-4020(6)-158435
- (4) Scale IV
102185-3570(9)-134315
- (5) Scale III
83425-2500(1)-85925-2710(6)-102185-3570(4)-116465
- (6) Scale II
68425-2500(7)-85925-2710(6)-102185
- (7) Scale I
50925-2500(14)-85925-2710(4)-96765

II. Fixation of the Basic Pay and Stagnation Stages:

TABLE – A
Fixation of the Basic Pay

(Figures in Rupees)

Scale I		Scale II		Scale III		Scale IV		Scale V		Scale VI		Scale VII	
Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
32795	50925	44065	68425	53725	83425	65805	102185	79605	123605	89095	138335	99835	155015
34405	53425	45675	70925	55335	85925	68105	105755	81905	127175	91780	142505	102520	159185
36015	55925	47285	73425	57080	88635	70405	109325	84205	130745	94465	146675	105205	163355
37625	58425	48895	75925	58825	91345	72705	112895	86505	134315	97150	150845	108085	167825
39235	60925	50505	78425	60570	94055	75005	116465	89095	138335	99835	155015	111235	172715
40845	63425	52115	80925	62315	96765	77305	120035	91685	142355	102520	159185	114500	177785
42455	65925	53725	83425	64060	99475	79605	123605	94275	146375	105205	163355	117765	182855
44065	68425	55335	85925	65805	102185	81905	127175	96865	150395	107890	167525	121030	187925
45675	70925	57080	88635	68105	105755	84205	130745	99455	154415	110575	171695	124295	192995
47285	73425	58825	91345	70405	109325	86505	134315	102045	158435				
48895	75925	60570	94055	72705	112895								
50505	78425	62315	96765	75005	116465								
52115	80925	64060	99475										
53725	83425	65805	102185										
55335	85925												
57080	88635												
58825	91345												
60570	94055												
62315	96765												

TABLE – B

[see Paragraph 8A]

Fixation of Basic Pay – Stagnation Stages

(Figures in Rupees)

Scale I		Scale II		Scale III	
Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
64060	99475	67550	104895	77305	120035
65805	102185	69295	107605	79605	123605
67550	104895	71040	110315		
		72785	113025		
		74530	115735		

Note: The term “Existing Basic Pay” in the above tables shall mean the basic pay as applicable in accordance with the Fourteenth Schedule.

III. Dearness Allowance:

(1) The scale of dearness allowance applicable to the officers shall be determined as under: -

Index : All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

Base : Index No.6352 in the series 1960 = 100

Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 6352 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of 0.08 per cent of Basic Pay.

Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

- (2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) above 6352 points in the sequence 6352-6356-6360-6364 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.
- (3) The final figures of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.
- (4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation.- For the purposes of this item, "quarter" shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. House Rent Allowance:

- (1) With effect from the 1st day of August, 2017, the House Rent Allowance payable to officers shall be as shown in the Table below:-

Table

Sl. No.	Place of posting	Rate per month
1	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	10% of pay subject to maximum of Rs.7,840/- per month
2	Cities with population exceeding 12 lacs except the cities mentioned at serial number 1, and all cities in the State of Goa	8% of pay subject to maximum of Rs.6,620/- per month
3	All other places	7% of pay subject to maximum of Rs.6,370/- per month

- Note:**
- (1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.
 - (2) Cities shall include their Urban Agglomeration.
 - (3) "Pay" means Basic Pay and Stagnation increments as per paragraph 8A.
 - (2) Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation, appropriate license fee as may be decided by the Corporation or the Company, as the case may be, from time to time and shall not be entitled to House Rent Allowance in terms of sub-item (1) of this item.

V. City Compensatory Allowance:

With effect from the 1st day of August, 2017, the City Compensatory Allowance payable to officers shall be as shown in the Table below :-

Table

Sl. No.	Place of posting	Rate
1	(Metro Cities) Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	3% of pay subject to a maximum of Rs.1,960/- per month
2	(A Class) Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in serial number 1, and all cities in the State of Goa	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1,865/- per month
3	(B Class) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair	2% of pay subject to a maximum of Rs.1,445/- per month
4	(C Class) All other cities	NIL

- Note:** (1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.
(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.
(3) “Pay” means Basic Pay and Stagnation increments as per paragraph 8A.

VI. Hill Station Allowance:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, Hill Station Allowance payable to officers shall be as shown in the Table below :-

Table

Sl. No.	Height of Place of posting (Above Mean Sea Level)	Rate
1	1500 meters and over	2.5% of Pay subject to maximum of Rs.1,245/- per month
2	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central or State Governments for their employees	2% of Pay subject to maximum of Rs.1,000/- per month
3	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over	2% of Pay subject to a maximum of Rs.1,000/- per month

Note: “Pay” means Basic Pay and Stagnation increments as per paragraph 8A.

VII. Kit Allowance:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, every officer on his transfer to any of the hill stations at which Hill Station Allowance is payable in terms of Item VI of this Schedule, shall be paid a Kit Allowance of Rs.9,000/- :

Provided that no Kit Allowance shall be payable if such officer has drawn such allowance at any time earlier.

VIII. Fixed Personal Allowance:

With effect from the 1st day of August, 2017, the Fixed Personal Allowance payable to officers shall be as shown in the Table given below:-

Table

Sl No.	Officers in the scale of pay of, as on 01.11.1993	Revised Fixed Personal Allowance (FPA) (Rs.)
1	Scale VII	5070
2	Scale VI	4170
3	Scale V	4020
4	Scale IV	3570
5	Scale III	3570
6	Scale II	2710
7	Scale I	2710

Note: The revised Fixed Personal Allowance shall reckon as Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave.

IX. Transport Allowance:

With effect from the 1st day of August, 2017, every Officer, who is not in receipt of any Conveyance Allowance / Transport Allowance or reimbursement of Conveyance / Transport Expenses under any of the Conveyance Schemes, shall be paid Transport Allowance of Rs. 1,960/- per month.

X. Paradeep Port Allowance:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette or the date of appointment, whichever is later, every confirmed officer posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rs. 265/- per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Pay for any purpose.’.

XI. The next revision due from August, 2022 will be in the form of a variable pay based on the performance of the company and the employee.’.

[F. No. S-11012/06/2019-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum. — The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 is amended from the date specified in the notification. It is certified that no officer of the corporation or company is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Note : The Principal Scheme was published in the gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O.521 (E) dated the 17th September, 1975 and lastly amended *vide* number S.O 611 (E) dated 9th February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4897(अ).—केंद्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्न स्कीम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1)** इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 है।
- (2) यह इस स्कीम 1 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
- (3) यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो कि 1 अगस्त, 2017 को, या उसके पश्चात् से कंपनी में विकास अधिकारी काडर में पूर्णकालिक कर्मचारी थे:

परन्तु ऐसा विकास अधिकारी, जिसका 1 अगस्त, 2017 से, की अवधि के दौरान राजपत्र में इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या जिसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थी, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होगा।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है), के पैरा 3 में,-

(क) खंड (2) में, "अनुसूची झ" शब्द और अक्षर के स्थान पर "अनुसूची ज" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) खंड (17) में, उप-खंड (ग) में, मद (vi) में, तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

परन्तु यह और कि 1.4.2022 से 31.3.2023 तक के निष्पादन वर्ष के लिए, सारणी ड में विनिर्दिष्ट लागत अनुपात की निर्धारित सीमाओं में एक प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी:

3. उक्त स्कीम के पैरा 7क, 7ख और 7ग के स्थान पर, निम्न पैरा रखे जाएंगे, अर्थातः-

7क. वेतनमान, नियतन की पद्धति और बकायों का संदेय.-

(1) 1 अगस्त, 2017 से ही, प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन और भत्ते अनुसूची ज के अनुरूप होंगे।

(2) प्रत्येक विकास अधिकारी जो 1 अगस्त, 2017 को सेवारत था या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया था उसका मूल वेतन 1 अगस्त, 2017 से प्रभाव के साथ या नियुक्ति की तारीख पर, जो भी पश्चातवर्ती हो, अनुसूची ज की मद II के अनुसार नियत किया जाएगा।

(3) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी को, जिसका मूल वेतन अनुसूची ज की मद II के अनुसार नियत किया गया है, 1 अप्रैल, 2018 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से ही, जो भी पश्चातवर्ती, प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची ज के अधीन संदेय सकाल परिलब्धियों और तकनीकी अहर्ताओं के लिए संदेय भत्ते और अनुसूची झ के अधीन संदत्त की गई राशि का अंतर, भविष्य निधि में विकास अधिकारी के अनिवार्य अभिदाय की कटौती के बाद संदत्त किया जाएगा।

7ख. साम्यपूर्ण सहायता.- पैरा 7क में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसा विकास अधिकारी जो कि 1 अगस्त, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान किसी भी समय सेवा में था उसे उस सेवा की अवधि के लिए साम्यपूर्ण सहायता का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "साम्यपूर्ण सहायता" पद से, यथास्थिति, अनुग्रहपूर्वक संदाय, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के पारिणामिक समायोजन सहित क्रमशः अनुसूची ज और अनुसूची झ के अधीन संगणित सकल परिलब्धियों और तकनीकी अहर्ताओं के योग के बीच का अंतर अभिप्रेत है।

7ग. बकाया और साम्यपूर्ण सहायता का व्यय में समामेलन.- पैरा 7क और 7ख के अधीन अवधारित बकाया और साम्यपूर्ण सहायता का खर्च की अनुबंधित सीमाओं के अधीन रहते हुए, संबंधित कार्य निष्पादन वर्ष के लिए, जिससे ये संबंधित हैं, विकास अधिकारी के व्यय में जोड़ दिया जाएगा और अतिशेष को निष्पादन वर्ष 2022-2023 के लिए उनकी लागत में ऐसे अनुपात में जोड़ दिया जाएगा जिसका वह साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 90 दिन के भीतर चयन करे।

4. उक्त स्कीम के पैरा 16 में, स्पष्टीकरण में, मद (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

"(vii) अनुसूची 'ज' के अनुसार 1 अगस्त, 2017 को आरंभ होने वाली अवधि के लिए।

5. उक्त स्कीम के पैरा 21क में, उप-पैरा (3) में, खंड (क) में, मद (ii) में, "छः सौ पच्चीस रूपए" शब्दों के स्थान पर, "नौ सौ पच्चीस रूपए" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त स्कीम में, अनुसूची - झ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः-

'अनुसूची - ज

[पैरा 3, पैरा 7क, पैरा 7ख, पैरा 11, पैरा 11क, पैरा 13, पैरा 15ख, पैरा 16 और पैरा 17 देखें]

I. वेतन मान (मूल वेतन) -

(1) विकास अधिकारी श्रेणी-I

35815-2245(8)-53775-2325(9)-74700-2435(2)-79570-2500(4)-89570 रूपए

(2) विकास अधिकारी श्रेणी-II

24315-1605(3)-29130-1825(4)-36430 रूपए

II. क. मूल वेतन का नियतन (वेतनमान में) -

प्रक्रम सं.	विकास अधिकारी श्रेणी-I		विकास अधिकारी श्रेणी-II	
	विद्यमान मूल वेतन (रूपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रूपए)	विद्यमान मूल वेतन (रूपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रूपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	23075	35815	15650	24315
2	24520	38060	16680	25920
3	25965	40305	17710	27525
4	27410	42550	18740	29130
5	28855	44795	19915	30955
6	30300	47040	21090	32780
7	31745	49285	22265	34605
8	33190	51530	23440	36430
9	34635	53775		
10	36130	56100		
11	37625	58425		
12	39120	60750		
13	40615	63075		
14	42110	65400		
15	43605	67725		
16	45100	70050		
17	46595	72375		
18	48090	74700		
19	49660	77135		
20	51230	79570		
21	52840	82070		
22	54450	84570		
23	56060	87070		
24	57670	89570		

ख. मूल वेतन का नियतन (वृद्धिरुद्ध प्रक्रम में) -

प्रक्रम सं.	विकास अधिकारी श्रेणी-I		विकास अधिकारी श्रेणी-II	
	विद्यमान मूल वेतन (रूपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रूपए)	विद्यमान मूल वेतन (रूपए)	पुनरीक्षित मूल वेतन (रूपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	59280	92070	24615	38255
2.	60890	94570	25790	40080

3.	62500	97070	26965	41905
4.	64110	99570		

टिप्पण:-

1. “विद्यमान” शब्द से अनुसूची झ के साथ अनुरूपता में लागू मूल वेतन (जिसके अंतर्गत वेतनरुद्ध प्रक्रम भी है) निर्दिष्ट है।
2. ऐसे विकास अधिकारी का, जिसको स्कीम लागू होती है, मूल वेतन 1 अगस्त, 2017 को संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा:

परंतु किसी विकास अधिकारी श्रेणी-I के अवधि में, जिसे पहले से ही 31 जुलाई, 2017 को उनके विद्यमान वेतनमान में एक, दो, तीन या चार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियों का अनुदान किया गया है, पुनरीक्षित वेतनमान में यथास्थिति उनका मूल वेतन पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक तत्स्थानी, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

परंतु यह भी कि ऐसे विकास अधिकारी श्रेणी-II के संदर्भ में, जिसे पहले से ही 31 जुलाई, 2017 को उनके विद्यमान वेतनमान में एक, दो, तीन या चार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियों का अनुदान किया गया है, पुनरीक्षित वेतनमान में यथास्थिति उनका मूल वेतन पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक तत्स्थानी, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

III. महंगाई भत्ता -

- (1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते के पैमाने का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : श्रृंखला 1960=100 में सूचकांक सं 6352

महंगाई भत्ते की दर:- 6352 अंकों के ऊपर त्रैमासिक औसत में चार अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के 0.08 प्रतिशत दर से की जाएगी।

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण:- महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा।

- (2) औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) की त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् “चालू औसत अंक” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में 6352-6356-6360-6364 के अनुक्रम में 6352 प्वाइंट से ऊपर और इसी प्रकार प्रत्येक प्वाइंटों की वृद्धि के लिए संदेय महंगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक अंक से चार अंक नीचे आ जाता है, जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, तो संदेय महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण पर, संदेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंक के समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू अंक, उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में चालू औसत अंक के ठीक पूर्ववर्ती अंक के समान होगा।
- (3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में प्रकाशित औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) के अंतिम आंकड़े, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।
- (4) किसी भी विशेष तिमाही के लिए चालू औसत अंक में बदलावों के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, उस तिमाही के अंत के बाद केवल दूसरे उत्तरगामी मास से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस मद के प्रयोजनों के लिए, “तिमाही” से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के मास के अंतिम दिन पर समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

IV. मकान किराया भत्ता -

- (1) ऐसे विकास अधिकारियों, जिन्हें कंपनी द्वारा वास सुविधा आवंटित की गई है, से भिन्न विकास अधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता उनकी तैनाती के स्थान पर निर्भर रहते हुए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर से संदेय होगा:-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
1	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव नगर	अधिकतम 7,840/-रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 10% प्रति मास
2	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित नगर, और गोवा राज्य में सभी नगर	अधिकतम 6,620/-रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 8% प्रति मास
3	अन्य सभी स्थान	अधिकतम 6,370/-रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 7% प्रति मास

- टिप्पण:** (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
- (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित होंगी।
- (3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उप-पैरा (3) और (4) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।
- (2) ऐसे विकास अधिकारी जिन्हें कंपनी द्वारा निवास स्थान आवंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे, जिसे समय-समय पर कंपनी द्वारा विनिश्चित किया जाए और वे मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

V. नगर प्रतिकर भत्ता -

1 अगस्त, 2017 से विकास अधिकारी को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे सारणी में उपदर्शित अनुसार संदेय होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
1	(मेट्रो शहर) मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव	अधिकतम 1,660/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 3% प्रति मास
2	(क वर्ग) 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित शहर, और गोवा राज्य में सभी नगर	अधिकतम 1,535/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5% प्रति मास
3	(ख वर्ग) 5 लाख और उससे ऊपर और 12 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर, 12 लाख तक की जनसंख्या वाली राज्य राजधानियाँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर	अधिकतम 1345/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2% प्रति मास
4	(ग वर्ग) अन्य सभी नगर	कुछ नहीं

टिप्पण:

- (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
- (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी सम्मिलित होंगी।
- (3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उप-पैरा (3) और (4) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता:

साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन तारीख के बाद के मास के पहले दिन से प्रभाव के साथ, विकास अधिकारी को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता नीचे सारणी में दिखाए अनुसार होगा :-

सारणी

क्रम सं.	तैनाती के स्थान की ऊंचाई (औसत समुद्र तल से ऊपर)	प्रति मास दर
1	1500 मीटर और ऊपर	अधिकतम 1000/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5% प्रति मास
2	1000 मीटर से अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम, मर्करा और वे स्थान जिन्हें केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है।	अधिकतम 790/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2% प्रति मास
3	कम से कम 750 मीटर और जो 1000 मीटर और उससे ऊपर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ हो और जहाँ केवल उन्हीं के माध्यम से पहुँचा जा सकता हो	अधिकतम 790/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2% प्रति मास

टिप्पण: "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13 के उप-पैरा (3) और (4) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत है।

VII. तकनीकी अहर्ता के लिए भत्ता -

- (1) कोई स्थायी विकास अधिकारी जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित परीक्षा में अर्हित होता है या जो अर्हता प्राप्त कर चुका है उसे परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख या 1 अगस्त, 2017 से प्रभाव के साथ, जो भी पश्चातवर्ती हो, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तकनीकी अहर्ताओं के लिए भत्ता संदेय होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं. (1)	परीक्षा (2)	तकनीकी अहर्ता के लिए भत्ता (प्रति मास) (3)
1	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- (i) अनुज्ञप्तिधारक (ii) एसोसिएटशिप (iii) फेलोशिप	555/- रुपए 1,505/- रुपए 2,575/- रुपए
2	बीमांकक संस्थान:- प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	555/- रुपए
3	चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और लेखाकार संकर्म संस्थान: निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- (i) इंटरमीडिएट परीक्षा (ii) अंतिम समूह क या समूह ख (iii) अंतिम समूह क और समूह ख	1,080/- रुपए 1,845/- रुपए 2,575/- रुपए

परंतु उसे तकनीकी अहर्ता के लिए एक से अधिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

- (2) तकनीकी अहर्ता के लिए भत्ते का अनुदान संबंधित विकास अधिकारी की ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।
- (3) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथावर्णित तकनीकी अहर्ता के लिए या उसके किसी भाग के लिए पुनरीक्षित भत्ते की गणना किसी भत्ता या किसी सेवा या सेवान्त फायदे के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

VIII. नियत वैयक्तिक भत्ता -

1 अगस्त, 2017 से, विकास अधिकारी को कम्प्यूटरीकरण के कारण संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे सारणी में उल्लिखित अनुसार पुनरीक्षित होगा, अर्थात:-

सारणी

म सं.	अधिकारी का (1.11.1993 को) वेतन मान	संशोधित नियत वैयक्तिक भत्ता (एफ़पीए)
1	श्रेणी-I	2,500/-रुपए
2	श्रेणी-II	1,825/-रुपए

टिप्पण : संशोधित नियत वैयक्तिक भत्ता मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए मूल वेतन माना जाएगा।

IX. पारादीप पत्तन भत्ता-

राजपत्र में साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण) संशोधन स्कीम, 2022 के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् के मास के पहले दिन या नियुक्ति की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती, से प्रभाव के साथ, पारादीप पत्तन में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक स्थायी विकास अधिकारी को प्रति मास 265/-रुपए का भत्ता संदेय होगा जब तक वे उस कार्यालय में तैनात हों। यह भत्ता किसी भी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं समझा जाएगा।

X. अगस्त 22 से अगल पुरनीक्षण कंपनी और कर्मचारी के काम करने के आधार पर भिन्नता का प्ररूप होगा।

[फा. सं. एस-11012/06/2019-बीमा-1]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन: साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतन मानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण), स्कीम, 1976 को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से संशोधित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने पर कंपनी के किसी भी अधिकारी के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 327(अ) तारीख 29.4.1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 234(अ) तारीख 23.1.2016 को किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2022

S.O. 4897(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely :-

1. (1) **Short title, commencement and application.**—This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2022.
- (2) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.
- (3) This Scheme shall be applicable to all employees who were whole time employees in Development Officer cadre of the Company as on or after the 1st day of August, 2017:

Provided that the Development Officer, whose resignation had been accepted or whose service had been terminated during the period from the 1st day of August, 2017 till the date of publication of this Scheme in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of the revision under this Scheme.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, -
 - (a) in clause (2), for the word and letter “Schedule I”, the word and letter “Schedule J” shall be substituted;
 - (b) in clause (17), in sub-clause (c), in item (vi), after the third proviso, the following proviso will be inserted, namely:

“Provided also that for the performance year 01-04-2022 to 31-03-2023, relaxation of one per cent, shall be allowed in the stipulated limits of cost ratio specified in Table –E.”.
3. For paragraphs 7A, 7B and 7C of the said Scheme, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

“7A. **Scales of pay, method of fixation and payment of arrears.-**

 - (1) On and from the 1st day of August, 2017, the basic pay and allowances of every Development Officer shall be in accordance with Schedule J.
 - (2) The basic pay of every Development Officer who was in service on the 1st day of August, 2017 or was appointed thereafter shall be fixed in accordance with item II of Schedule J, with effect from the 1st day of August, 2017 or the date of appointment, whichever is later.
 - (3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in accordance with item II of Schedule J, shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of April, 2018 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of gross emoluments and allowance for technical qualification payable under Schedule J and that paid under Schedule I after deducting the Development Officer’s compulsory contribution to Provident Fund.

7B. **Equitable relief.-** Notwithstanding anything contained in paragraph 7A, the Development Officer who was in service at any time during the period from the 1st day of August, 2017 to the 31st day of March, 2018 shall be paid equitable relief for the period of such service.

Explanation.- For the purposes of this paragraph the term “equitable relief” means the difference between the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualifications computed under Schedule J and Schedule I, respectively, with consequent adjustment of ex-gratia payment, Provident Fund, Pension, Gratuity and encashment of Earned Leave, as the case may be.

7C. **Absorption of Arrears and Equitable relief in cost.-** The arrears and equitable relief determined under paragraph 7A and 7B shall be added to the cost of Development Officer for the respective performance year to which they relate, subject to the stipulated limits of cost and the balance shall be added to his cost for the performance year 2022-2023 in such proportion as he may choose within 90 days of the publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette.’.
4. In paragraph 16 of the said Scheme, in the Explanation, after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-

“(vii) for the period commencing on the 1st day of August, 2017, as per Schedule J.”.
5. In paragraph 21A of the said Scheme, in sub-paragraph (3), in clause (A), in item (ii), for the words “six hundred and twenty five rupees”, the words “nine hundred and twenty-five rupees” shall be substituted.
6. In the said Scheme, after Schedule - I, the following Schedule shall be inserted, namely:-

‘SCHEDULE – J

[See paragraphs 3, 7A, 7B, 11, 11A, 13, 15B, 16 and 17]

I. Scales of Pay (Basic Pay) -

- (1) Development Officer Grade I
Rs. 35815-2245(8)-53775-2325(9)-74700-2435(2)-79570-2500(4)-89570
- (2) Development Officer Grade II
Rs. 24315-1605(3)-29130-1825(4)-36430

II. A. Fixation of Basic Pay (in the scale of pay) –

Stage No.	Development Officer Grade -I		Development Officer Grade -II	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	23075	35815	15650	24315
2	24520	38060	16680	25920
3	25965	40305	17710	27525
4	27410	42550	18740	29130
5	28855	44795	19915	30955
6	30300	47040	21090	32780
7	31745	49285	22265	34605
8	33190	51530	23440	36430
9	34635	53775		
10	36130	56100		
11	37625	58425		
12	39120	60750		
13	40615	63075		
14	42110	65400		
15	43605	67725		
16	45100	70050		
17	46595	72375		
18	48090	74700		
19	49660	77135		
20	51230	79570		
21	52840	82070		
22	54450	84570		
23	56060	87070		
24	57670	89570		

B. Fixation of Basic Pay (at Stagnation Stages) -

Stage No.	Development Officer Grade - I		Development Officer Grade – II	
	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)	Existing Basic Pay (Rs.)	Revised Basic Pay (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	59280	92070	24615	38255
2.	60890	94570	25790	40080
3.	62500	97070	26965	41905
4.	64110	99570		

Notes:-

1. The term “Existing” refers to the Basic Pay (including Stagnation Stages) as applicable in accordance with Schedule I.
2. The Basic Pay of the Development Officer, to whom this Scheme applies, shall be fixed as on the 1st day of August, 2017 at the corresponding stage in the respective revised scale of pay:

Provided that in respect of Development Officers Grade I, who have already been granted as on the 31st day of July, 2017, one, two, three or four Stagnations Increments in the existing scale of pay, their Basic Pay in the revised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third or fourth stages above the maximum of the revised scale of pay, as the case may be.

Provided also that in respect of Development Officers Grade II, who have already been granted as on the 31st day of July, 2017, one, two or three Stagnations Increments in the existing scale of pay, their Basic Pay in the revised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second or third stages above the maximum of the revised scale of pay, as the case may be.

III. Dearness Allowance -

- (1) The scale of dearness allowance applicable to the Development Officers shall be determined as under: -

Index : All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

Base : Index No.6352 in the series 1960 = 100

Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 6352 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of 0.08 per cent of Basic Pay.

Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

- (2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) above 6352 points in the sequence 6352-6356-6360-6364 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.
- (3) *The final figures of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.*
- (4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation.- For the purposes of this item, “quarter” shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. House Rent Allowance -

- (1) With effect from the 1st day of August, 2017, the House Rent Allowance to Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Company shall be at the rates specified in the table below depending on the place of posting,-

TABLE

Sl. No.	Place of posting	Rate per month
1	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	10% of pay subject to maximum of Rs.7,840/- per month

2	Cities with population exceeding 12 lacs except the cities mentioned at serial number 1, and all cities in the State of Goa	8% of pay subject to maximum of Rs.6,620/- per month
3	All other places	7% of pay subject to maximum of Rs.6,370/- per month

Note: (1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.

(2) Cities shall include their Urban Agglomeration

(3) "Pay" means Basic Pay and Stagnation increments as per sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

(2) The Development Officer, who is allotted residential accommodation by the Company, shall pay for such accommodation appropriate license fee as may be decided by the Company from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance.

V. City Compensatory Allowance -

With effect from the 1st day of August, 2017 the city compensatory allowance payable to the Development Officer shall be as specified in the table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Place of posting	Rate per month
1	(Metro Cities) Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	3% of pay subject to a maximum of Rs.1,660/- per month
2	(A Class) Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in serial number 1, and all cities in the State of Goa	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1,535/- per month
3	(B Class) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair	2% of pay subject to a maximum of Rs.1,345/- per month
4	(C Class) All other cities	Nil

Note:

(1) For the purposes of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.

(2) Cities shall include their Urban Agglomeration.

(3) "Pay" means Basic Pay and Stagnation increments as per sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph

VI. Hill Station Allowance -

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, the Hill Station Allowance payable to the Development Officer shall be as mentioned in the Table below :-

TABLE

Sl. No.	Height of Place of posting (Above Mean Sea Level)	Rate per month
1.	1500 meters and over	2.5% of the Basic Pay subject to maximum of Rs.1,000/- per month
2.	1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are	2% of the Basic Pay subject to maximum of Rs.790/- per month

	specifically declared as "Hill Stations" by Central Government or, as the case may be, the State Government for their employees	
3.	Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over	2% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.790/- per month

Note: "Pay" means Basic Pay and Stagnation increments as per sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 13.

VII. Allowance for Technical Qualification.-

- (1) A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (2) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the 1st day of August, 2017, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (3) of the said table, namely: -

TABLE

Sl. No. (1)	Examination (2)	Allowance for Technical Qualification (per month) (3)
1	Insurance Institute of India Or Chartered Insurance Institute: On completion of:- (i) Licentiate (ii) Associateship (iii) Fellowship	Rs.555/- Rs.1,505/- Rs.2,575/-
2	Institute of Actuaries:- On passing each subject	Rs.555/-
3	Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountant: On completion of:- (i) Intermediate Examination (ii) Final Group A or Group B (iii) Final Group A and Group B	Rs.1,080/- Rs.1,845/- Rs.2,575/-

Provided that not more than one allowance for technical qualification shall be permissible to him.

- (2) The grant of allowance for technical qualification shall not affect the seniority of the Development Officer concerned.
- (3) The revised allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the said Table, or any part thereof, shall not count for the purpose of any allowance or for any service or terminal benefit.

VIII. Fixed Personal Allowance -

With effect from the 1st day of August, 2017, the fixed personal allowance payable to the Development Officers on account of computerisation shall stand revised as mentioned in the Table below, namely: -

TABLE

Sl. No.	Development Officers in the Scale of Pay (as on 1.11.1993) of	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)
1	Grade I	2500
2	Grade II	1825

Note: The revised Fixed Personal Allowance as shown in the Table above shall reckon as Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave.

IX. Paradeep Port Allowance -

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, or the date of appointment, whichever is later, every confirmed Development Officer posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rs. 265/- per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Pay for any purpose.

X The next revision due from August 2022 will be in the form of a variable pay based on the performance of the company and the employee.’.

[F. No. S-11012/06/2019-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum. — The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 is amended from the date specified in the notification. It is certified that no officer of the company is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Note : The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 327 (E), dated the 29th April, 1976 and lastly amended *vide* number S.O 236 (E) dated 23rd January, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4898(अ).—केंद्रीय सरकार साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्न स्कीम की विरचना करती है, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 है।

(2) इस स्कीम को 1 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

(3) यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त, 2017 को, या उसके पश्चात्, निगम या कंपनी के पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द संवर्गों में पूर्णकालिक सेवा में थे:

परंतु वे कर्मचारी, जिनके त्यागपत्र 1 अगस्त, 2017 और इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के दौरान स्वीकार किए जा चुके हों या जिनकी सेवाएँ इस दौरान समाप्त कर दी गई थी, इस स्कीम के अधीन पुनरीक्षण के लेखे बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी इस स्कीम के प्रकाशन से पहले वह जिस समयोपरि भत्ते के लिए पात्र था, वह उससे अधिक का पात्र नहीं होगा।
- साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है), पैरा 3 में, खंड (चच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(चछ) "तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमानों" से ग्याहरवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान अभिप्रेत है;

'(चज) "तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों" से ग्याहरवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं;'
- उक्त स्कीम में, पैरा 4 में, उप-पैरा (17) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(18) 1 अगस्त, 2017 से, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन और भत्ते तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों के अनुसार होंगे। उस तारीख को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन और उस तारीख के पश्चात् किंतु साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और

अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6झ के उपबंधों के अनुसार तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान के अनुसार होगा।

- (19) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जिसका मूल वेतन साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के पैरा 6झ के उपबंधों के अनुसार तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में नियत किया गया है, तृतीय सुव्यवस्थित में नियतन की तारीख से, 1 अगस्त, 2017 या उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए या उस तारीख से, जिससे उसने इस स्कीम के उपबंधों द्वारा शासित होने का विकल्प लिया है, इनमें से जो पश्चातवर्ती हो, मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में (कर्मचारी का भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान की कटौती के बाद) "तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों" और "द्वितीय सुव्यवस्थित निबंधनों" जो उस पर लागू हो, के बीच का अंतर संदेय किया जाएगा:

परंतु -

- (क) ऐसा कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 2017 के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए इस उप पैरा में यथाविनिर्दिष्ट रकम के अंतर को उपदान की राशि के अंतर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है, के साथ संदेय किया जाएगा;
- (ख) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसकी सेवा में रहते हुए 1 अगस्त, 2017 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गई थी, इस उप पैरा में यथाविनिर्दिष्ट रकम का अंतर, उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उस व्यक्ति को संदेय किया जाएगा जिसे उसकी भविष्य निधि संदत्त की गई थी या की जाएगी और उपदान की राशि का अंतर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है, उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जिसे उसकी उपदान की राशि संदेय की गई थी या की जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 अगस्त, 2017 को या उसके पश्चात् पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द काडर से अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नत हुआ है या उसे विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है, इस उप पैरा में निर्दिष्ट रकम का अंतर (उपदान रकम के अंतर को छोड़कर) अधिकारी के रूप में उसकी प्रोन्नति या विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तन की तारीख तक, तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों में उसके मूल वेतन के सैद्धांतिक नियतन के आधार पर संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए "अन्य भत्ते" पद से किसी कर्मचारी की यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता, कृत्यकारी भत्ता, पर्वतीय स्थान भत्ता, स्नातक भत्ता, तकनीकी अर्हता भत्ता, परिवहन भत्ता, पारादीप पत्तन भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है।

4. उक्त स्कीम में, पैरा 6ज के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"6झ. तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में मूल वेतन और भत्तों का नियतन:

- (1) 1 अगस्त, 2017 को सेवारत तथा साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् सेवा में बने रहने वाले प्रत्येक कर्मचारी का वेतनमान और अन्य भत्ते तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों के अनुसार इस प्रकार होंगे कि वे निम्नलिखित तारीखों से पहले के नहीं हों:-

- (i) पर्वतीय स्थल भत्ता, किट भत्ता, संपरीक्षा सहायकों के लिए कृत्यकारी भत्ता और पारादीप पत्तन भत्ता के लिए साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पश्चातवर्ती मास की पहली तारीख; और

- (ii) मूल वेतन और अन्य भत्तों के लिए 1 अगस्त, 2017.

- (2) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के मामले में जिसे यह स्कीम लागू होती है, उसका वेतनमान और अन्य भत्ते तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों के अनुसार ऐसी तारीख से होंगे जो उप पैरा (1) में उल्लिखित तारीख या नियुक्ति की तारीख, इन में से जो भी पश्चातवर्ती हो, से पहले नहीं हो।
- (3) उपपैरा (1) और उपपैरा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी यह विकल्प ले सकेगा कि उसका वेतनमान और अन्य भत्ते ग्याहरवीं अनुसूची की मद 1 की यथास्थिति सारणी क या सारणी ख के अनुसार उपपैरा (1) में उल्लिखित तारीखों से या उसके पश्चात् किसी तारीख से जो कि साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या उससे पूर्व, नियत किए जाएँ, जिसके लिए वह लिखित में अपने विकल्प से, यथास्थिति, निगम या कंपनी को विहित अवधि के भीतर सूचित करेगा:

परंतु ऐसे कर्मचारी को 1 अगस्त, 2017 से ऐसी चयन की गई तारीख तक की अवधि के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा।

परंतु यह और कि 1 अगस्त, 2017 से साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक के बकाया की संगणना करते समय यदि भविष्य निधि की कटौती के बाद द्वितीय सुव्यवस्थित कुल मासिक परिलब्धियों और भविष्य निधि की कटौती के बाद तृतीय सुव्यवस्थित कुल मासिक परिलब्धियों के बीच का शुद्ध अंतर ऋणात्मक है तो उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

5. उक्त स्कीम में, पैरा 11 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
“(vii) 1 अगस्त, 2017 को आरंभ होने वाली अवधि के लिए, तृतीय सुव्यवस्थित निबंधनों को निर्दिष्ट करते हुए संगणित किया जाएगा।”
6. उक्त स्कीम में, दसवीं अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

‘ग्याहरवीं अनुसूची

[पैरा 3 (चछ) और (चज) देखें]

I. तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान :

क. पर्यवेक्षकीय और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द

(1) ज्येष्ठ सहायक

31370-2245(4)-40350-2500(15)-77850 रुपये

(2) आशुलिपिक

31370-2245(4)-40350-2500(15)-77850 रुपये

(3) सहायक, टंकक, टेलीफोन ऑपरेटर, टेलेक्स ऑपरेटर, स्वागतकर्ता, पंच कार्ड ऑपरेटर, एकक अभिलेख मशीन ऑपरेटर, काम्पटिस्ट और अन्य समतुल्य पद

22405-1305(1)-23710-1425(2)-26560-1605(5)-34585-1855(2)-38295-2260(3)-45075-2345(2)-49765-2500(5)-62265 रुपये

(4) अभिलेख लिपिक

20785-900(2)-22585-965(5)-27410-1030(1)-28440-1155(2)-30750-1275(3)-34575-1420(5)-41675-1580(9)-55895 रुपये

ख. अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द

(1) चालक

20785-900(2)-22585-935(14)-35675-1030(2)-37735-1160(9)-48175 रुपये

(2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द

18100-740(5)-21800-785(8)-28080-935(1)-29015-970(2)-30955-1160(9)-41395 रुपये

मूल वेतन और वृद्धिरुद्ध चरणों का नियतन निम्नलिखित सारणियों के अनुसार होगा:-

सारणी - क

मूल वेतन का नियतन (अंक रूप में)

ज्येष्ठ सहायक/ आशुलिपिक		सहायक		अभिलेख लिपिक		चालक		अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
20210	31370	14435	22405	13380	20785	13380	20785	11660	18100
21655	33615	15275	23710	13960	21685	13960	21685	12135	18840
23100	35860	16190	25135	14540	22585	14540	22585	12610	19580
24545	38105	17105	26560	15160	23550	15140	23520	13085	20320
25990	40350	18135	28165	15780	24515	15740	24455	13560	21060
27600	42850	19165	29770	16400	25480	16340	25390	14035	21800
29210	45350	20195	31375	17020	26445	16940	26325	14540	22585
30820	47850	21225	32980	17640	27410	17540	27260	15045	23370
32430	50350	22255	34585	18305	28440	18140	28195	15550	24155
34040	52850	23450	36440	19050	29595	18740	29130	16055	24940
35650	55350	24645	38295	19795	30750	19340	30065	16560	25725
37260	57850	26100	40555	20615	32025	19940	31000	17065	26510
38870	60350	27555	42815	21435	33300	20540	31935	17570	27295
40480	62850	29010	45075	22255	34575	21140	32870	18075	28080
42090	65350	30520	47420	23170	35995	21740	33805	18675	29015
43700	67850	32030	49765	24085	37415	22340	34740	19295	29985
45310	70350	33640	52265	25000	38835	22940	35675	19915	30955
46920	72850	35250	54765	25915	40255	23605	36705	20660	32115
48530	75350	36860	57265	26830	41675	24270	37735	21405	33275
50140	77850	38470	59765	27845	43255	25015	38895	22150	34435
		40080	62265	28860	44835	25760	40055	22895	35595
				29875	46415	26505	41215	23640	36755

				30890	47995	27250	42375	24385	37915
				31905	49575	27995	43535	25130	39075
				32920	51155	28740	44695	25875	40235
				33935	52735	29485	45855	26620	41395
				34950	54315	30230	47015		
				35965	55895	30975	48175		

सारणी - ख

मूल वेतन - वृद्धिरुद्ध प्रक्रमों का नियतन

[पैरा 7, उप-पैरा (2) देखें]

(अंक रुपए में)

ज्येष्ठ सहायक / आशुलिपिक		सहायक	
विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
51750	80350	41690	64765
53360	82850	43300	67265
54970	85350	44910	69765
56580	87850	46520	72265
58190	90350	48130	74765
59800	92850	49740	77265
		51350	79765

टिप्पणः

- (1) 1 अगस्त, 2017 को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी, जो साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सेवा में निरंतर बना रहता है, का मूल वेतन 1 अगस्त, 2017 से या उसके विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।
- (2) 1 अगस्त, 2017 के पश्चात् नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी, जो साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सेवा में निरंतर बना रहता है, उसकी नियुक्ति की तारीख से या उसके विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।
- (3) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन जो 1 अगस्त, 2017 को या उसके पश्चात् सेवा में था और साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख पर या उसके पहले सेवानिवृत्त हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, 1 अगस्त, 2017 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से, इसमें जो पश्चातवर्ती हो, उस पर लागू तृतीय वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा:

परंतु सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2017 तक द्वितीय सुव्यवस्थित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह या सात वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं, उनका मूल वेतन तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में यथादर्शित संबद्ध तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह या सात प्रक्रम से ऊपर नियत किया जाएगा:

परंतु और कि ज्येष्ठ सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें 31 जुलाई, 2017 तक द्वितीय सुव्यवस्थित वेतनमान में एक, दो, तीन, चार, पाँच या छह वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं, उनका मूल वेतन तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान में यथा उपदर्शित संबद्ध तृतीय सुव्यवस्थित वेतनमान के अधिकतम के तत्स्थानी एक, दो, तीन, चार, पाँच या छह प्रक्रम से ऊपर नियत किया जाएगा।

II. कृत्यकारी भत्ते :

- (1) 1 अगस्त, 2017 के प्रभाव से निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार कृत्यकारी भत्ते संदत्त किए जाएंगे:-

(i)	अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जो अपने नियमित और मुख्य कार्य के रूप में की-होल्डर या बैंक को नकदी ले जाने या लाने के कार्य में लगा हुआ है, जहां किसी कैलेंडर मास में ले जाए जाने वाली नकदी की राशि सामान्यतया 25000/- रुपए या उससे अधिक है,	100/- रुपए प्रति मास
(ii)	अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जो लिफ्टमैनों, मशीन ऑपरेटरों, प्रधान चपरासियों, जमादारों, दफ्तरियों, एसी संयंत्र ऑपरेटरों और भारी यान चालकों के रूप में कार्य कर रहे हैं जिन्हें ये कार्य 1 जनवरी, 2006 से पहले सौंपे गए थे,	165/- रुपए प्रति मास
(iii)	सहायक (या सहायक की अनुपलब्धता की दशा में ज्येष्ठ सहायक) जो अपने नियमित और मुख्य कार्य के रूप में कार्यालय में नकद संबंधी कार्य कर रहा है जहां किसी कैलेंडर मास में रकम का नकद संव्यवहार सामान्यतया 25000/- रुपए या उससे अधिक है,	2120/- रुपए प्रति मास
(iv)	टैलेक्स ऑपरेटर, पंच कार्ड ऑपरेटर, एकक अभिलेख मशीन ऑपरेटर और काम्पटिस्ट जिन्हें ये कार्य 1 जनवरी, 2006 से पहले सौंपे गए थे	60/- रुपए प्रति मास
(v)	अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक, स्केल VII, स्केल VI समतुल्य पदाधिकारियों के आशुलिपिका	75/- रुपए प्रति मास

- (2) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की 1 तारीख के प्रभाव से संपरीक्षक सहायकों का कार्य करने वाले कर्मचारियों को 1200/- रुपए प्रति मास की दर से कृत्यकारी भत्ते संदत्त किए जाएंगे।

टिप्पण :

- (1) कृत्यकारी भत्ता लेने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या और नाम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कार्य की मात्रा और प्रशासनिक अपेक्षाओं पर निर्भर होगा।
- (2) कोई कर्मचारी एक समय पर केवल एक कृत्यकारी भत्ता लेगा।
- (3) छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी को असाधारण छुट्टी की अवधि से भिन्न उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान कृत्यकारी भत्ते का संदाय किया जाएगा, यदि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी हैसियत में अपना कार्य ग्रहण करता है।
- (4) कोई कर्मचारी, अधिकार के रूप में कृत्यकारी भत्ता प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट पद के कार्य के आवंटन का हकदार नहीं होगा, जो उस हैसियत या पद से जुड़ा हुआ है।
- (5) कोई कर्मचारी, कृत्यकारी भत्ते वाली हैसियत में कार्य करने से इंकार नहीं करेगा या यह शर्त नहीं लगाएगा कि उसे, जहां किसी पदधारी की अनुपस्थिति के कारण या कार्य के अस्थायी दबाव के कारण उसके कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया है इसलिए ऐसा भत्ता संदत्त किया जाए।
- (6) उपरोक्त खंडों में से किसी खंड या उसके किसी भाग के अधीन कृत्यकारी भत्ते को मूल वेतन के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा और उसे किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य सेवा या सेवांत प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

III. महंगाई भत्ता :

- (1) कर्मचारियों को लागू महंगाई भत्ते के परिमाण का निर्धारण निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:-

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक**आधार :** श्रृंखला 1960 = 100 में सूचकांक सं 6352**महंगाई भत्ते की दर :-** 6352 अंकों के ऊपर त्रैमासिक औसत में चार अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के 0.08 प्रतिशत दर से की जाएगी।**महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण :-** महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा।

- (2) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) में 6352 अंकों से ऊपर त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर 6352-6356-6360-6364 इत्यादि की श्रृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय महंगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण होगा और चालू औसत अंक ऊपर उस श्रृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अंतिम पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होती है तो महंगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा। नीचे की ओर पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक है तो संदेय ऊपर महंगाई भत्ता उस चालू औसत अंक के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू औसत अंक ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता ऊपर श्रृंखला में के उस अंक के समरूप होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले है।
- (3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, में प्रकाशित औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960) के अंतिम आंकड़े, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।
- (4) किसी भी विशेष तिमाही के लिए चालू औसत अंक में बदलावों के अनुरूप महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण तिमाही के अंत के बाद केवल दूसरे उत्तरगामी मास से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस मद के प्रयोजन के लिए, "तिमाही" से मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के मास के अंतिम दिन पर समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।**IV. तकनीकी अहर्ता के लिए भत्ता :**

- (1) एक स्थायी कर्मचारी जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है या उत्तीर्ण कर चुका है उसे परीक्षा के नतीजों के प्रकाशन की तारीख या 1 अगस्त, 2017, जो भी पहले हो, से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तकनीकी अहर्ताओं के लिए भत्ता संदेय होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	परीक्षा	तकनीकी अहर्ता के लिए भत्ता (प्रति मास)
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- (i) अनुज्ञप्तिधारक (ii) एसोसिएटशिप (iii) फेलोशिप	555/- रुपए 1505/- रुपए 2575/- रुपए
2.	बीमांकक संस्थान:- प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	555/- रुपए

3.	चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखा संस्थान: निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर:- i) इंटरमीडिएट परीक्षा ii) अंतिम समूह क या समूह ख iii) अंतिम समूह क और समूह ख	1080/- रुपए 1845/- रुपए 2575/- रुपए
4.	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कारबार प्रशासन निष्णात (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम)	2575/- रुपए

परंतु उसे एक से अधिक तकनीकी अहर्ता भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

- (2) तकनीकी अहर्ता के लिए भत्ते का अनुदान संबंधित कर्मचारी की ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।
- (3) जहां कर्मचारियों को उक्त किन्हीं परीक्षाओं में अहर्ता प्राप्त करने के लिए पहले ही अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा चुकी है, या कोई अन्य आवर्ती आर्थिक फायदा दिया जा चुका है, वहाँ तकनीकी अहर्ता भत्ते की रकम को उपयुक्त रूप से कम कर दिया जाएगा या उसे संदेय नहीं होगा जो उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करेगा।
- (4) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के बाद एक वर्ष की सेवा के पूरी होने पर ऐसा कर्मचारी तकनीकी अहर्ता भत्ता प्राप्त करेगा जिसकी राशि पूरी दर के आधे से कम नहीं होगी और एक वर्ष की और सेवा के लिए उक्त तकनीकी अहर्ता भत्ता पूरा संदाय किया जाएगा।
- (5) उपरोक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित तकनीकी अहर्ता भत्ता या उसके किसी भाग को किसी भत्ते के या किसी सेवा या सेवांत प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- स्तम्भ (2) में क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है।

V. स्नातक वेतनवृद्धि या भत्ता :

(1) सहायक को स्नातक वेतनवृद्धि या भत्ता -

1 अगस्त, 2017 से, सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक वेतनवृद्धियाँ या भत्ता निम्नलिखित प्रकार से संदत्त किया जाएगा:-

- (क) ऐसा कर्मचारी जिसे सहायक के वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त किया गया है या प्रोन्नत किया गया है और जिसने 1 जनवरी, 1973 को या उसके बाद लेकिन 1 अगस्त, 2007 से पहले किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अहर्ता प्राप्त की है और वह वेतनमान के अधिकतम पर नहीं पहुँचा है, उसे परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के अगले मास के पहले दिन या सहायक के वेतनमान में नियुक्ति की तारीख से, इन में जो पश्चात् का हो, वेतनमान में दो वेतनवृद्धियाँ मंजूर की जाएंगी, लेकिन वह ऐसा स्नातक अर्हित होने के कारण पहले से ही वेतनवृद्धि या अहर्ता वेतन प्राप्त नहीं कर रहा हो या नियुक्ति पर कोई अग्रिम वेतनवृद्धि, भूतपूर्व सैनिकों को प्रदत्त की जाने वाली परिलब्धियों की संरक्षा से भिन्न नहीं ले रहा हो।

परंतु स्नातक के लिए वेतनवृद्धि का हकदार कोई कर्मचारी, मूल वेतन के रूप में 59765/- रुपए प्राप्त कर रहा है, तो उसे स्नातक के लिए केवल एक वेतनवृद्धि मंजूर की जाएगी;

- (ख) सहायक के वेतनमान में कोई कर्मचारी जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 1 अगस्त, 2007 के पूर्व स्नातक के रूप में अहर्ता प्राप्त की है और वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच गया है, उसे नीचे के सारणी के अनुसार 1 अगस्त, 2017 से पुनरीक्षित स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा:-

सारणी

प्रक्रम	1 अगस्त, 2017 से प्रति मास पुनरीक्षित स्नातक भत्ता
वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष बाद	920/- रुपए
वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के दो वर्ष बाद	1625/- रुपए

(ग) स्नातक भत्ता, या उसके किसी भाग को किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए या किसी सेवा या सेवांत प्रसुविधाओं के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(2) अभिलेख लिपिकों को स्नातक भत्ता -

अभिलेख लिपिक के वेतनमान में ऐसे कर्मचारी को, जिसने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 1 अगस्त, 2007 से पूर्व स्नातक के रूप में अहर्ता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या अभिलेख लिपिक के रूप में प्रोन्नति की तारीख से या 1 अगस्त, 2017 से, इनमें से जो भी बाद में हो 610/- रुपए प्रति मास का स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

टिप्पण : अभिलेख लिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता न तो विशेष भत्ते के रूप में और न ही किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में समझा जाएगा या हिसाब में लिया जाएगा और यह कर्मचारी की प्रोन्नति पर वापस ले लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

VI. मकान किराया भत्ता:

(1) 1 अगस्त, 2017 से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को संदेय मकान किराया भत्ता नीचे सारणी में यथा उपदर्शित होगा:-

सारणी

क्रम सं. (1)	तैनाती का स्थान (2)	प्रति मास दर (3)
1	मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव नगर	अधिकतम 7,840/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 10% प्रति मास
2	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित नगर, और गोवा राज्य में सभी नगर	न्यूनतम 1,475/- रुपए और अधिकतम 6,620/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 8%, प्रति मास
3	अन्य सभी स्थान	न्यूनतम 1400/- रुपए और अधिकतम 6,370/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 7%, प्रति मास

टिप्पण :

- (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
 - (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।
 - (3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 7 के उप-पैरा (2) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।
 - (4) पैरा 18 के अधीन स्थानांतरण और गतिशीलता नीति के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान, उक्त पैरा के उपपैरा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन होगा।
- (2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें निवास सुविधा या स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए गए हैं, किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे किंतु वे ऐसी सुविधाओं के लिए निगम या कंपनी को निगम या कंपनी के बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकने

वाली समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे। परंतु ऐसा कर्मचारी जिसे निवास सुविधा या स्टाफ क्वार्टर 1 अप्रैल, 1983 से पूर्व आवंटित किया गया है और जो उक्त स्कीम की चौथी अनुसूची के मद VI के अधीन, साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है, जब तक वह निगम या कंपनी द्वारा आवंटित किए हुए उसी आवास सुविधा या स्टाफ क्वार्टर को कब्जे में रखे हुए हैं ऐसा मकान किराया भत्ता प्राप्त करता रहेगा।

VII. नगर प्रतिकर भत्ता :

1 अगस्त, 2017 से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को संदेय नगर प्रतिकर भत्ता नीचे सारणी में यथादर्शित होगा:-

सारणी

क्रम सं. (1)	तैनाती का स्थान (2)	प्रति मास दर (3)
1	(मेट्रो शहर) मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव	अधिकतम 1555/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 3% प्रति मास
2	(क वर्ग) 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर सिवाय क्रम संख्या 1 में उल्लिखित नगर, और गोवा राज्य में सभी नगर	अधिकतम 1460/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5% प्रति मास
3	(ख वर्ग) 5 लाख और उससे ऊपर और 12 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर, 12 लाख तक की जनसंख्या वाली राज्य राजधानियाँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर	अधिकतम 1255/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2% प्रति मास
4	(ग वर्ग) अन्य सभी नगर	कुछ नहीं

टिप्पण :

- (1) इस मद के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे।
- (2) शहरों में उनकी नगर बस्तियां भी शामिल होंगी।
- (3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 7 के उप-पैरा (2) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ अभिप्रेत हैं।
- (4) पैरा 18 के अधीन स्थानांतरण और गतिशीलता नीति के अधीन स्थानांतरित कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान, उक्त पैरा के उपपैरा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन होगा।

VIII. पर्वतीय स्थान भत्ता :

साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता निम्न प्रकार से होगा:-

क्रम सं. (1)	तैनाती का स्थान (2)	प्रति मास दर (3)
1.	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर और अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	अधिकतम 1000/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5% प्रति मास
2.	समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मर्करा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 'पर्वतीय स्थानों' के रूप में घोषित किया	अधिकतम 790/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2% प्रति मास

	गया है	
3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और उन्हीं पहाड़ियों में से होकर वहाँ तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं	अधिकतम 790/- रुपए के अधीन रहते हुए वेतन का 2% प्रति मास

टिप्पण : 'वेतन' का अर्थ है मूल वेतन और पैरा 7 के उप-पैरा (2) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धियाँ।

IX. किट भत्ता :

साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन से, कर्मचारियों जिनको किसी ऐसे पर्वतीय स्थान पर स्थानांतरित किया गया है जहाँ मद VIII के निबंधानुसार पर्वतीय स्थान भत्ता संदेय है, 2250/- रुपए किट भत्ता संदेय किया जाएगा। किट भत्ता एक पर्वतीय स्थान से दूसरे पर्वतीय स्थान पर स्थानांतरित होने पर संदाय नहीं होगा यदि ऐसा भत्ता पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी समय लिया गया है।

X. नियत ब्यैक्तिक भत्ता :

1 अगस्त, 2017 से, कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकरण के मद्दे संदेय नियत ब्यैक्तिक भत्ता नीचे सारणी में उल्लिखित अनुसार पुनरीक्षित होगा, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	कर्मचारी निम्नलिखित वेतनमान में (1.11.1993 को)	संशोधित नियत ब्यैक्तिक भत्ता (एफ़पीए)
		रुपए
1.	ज्येष्ठ सहायक	2500
2.	आशुलिपिक	2500
3.	सहायक, आदि	2500
4.	अभिलेख लिपिक	1580
5.	चालक	1160
6.	अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	1160

टिप्पण: संशोधित नियत व्यक्तिक भत्ता मकान किराया भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान और अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के उद्देश्य के लिए मूल वेतन माना जाएगा।

XI. परिवहन भत्ता :

1 अगस्त, 2017 से, प्रत्येक स्थायी कर्मचारी को प्रति मास 680/- रुपए परिवहन भत्ता संदेय होगा।

XII. पारादीप पत्तन भत्ता :

साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चातवर्ती मास के पहले दिन या नियुक्ति की तारीख, जो भी पश्चात् में हो, से प्रभाव के साथ, पारादीप पोर्ट में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक स्थायी कर्मचारियों को प्रति मास 265/- रुपए का भत्ता संदेय होगा जब तक वे उस कार्यालय में तैनात हों। यह भत्ता किसी भी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं समझा जाएगा।"

XIII. अगस्त 2022 से होने वाला अगला संशोधन कंपनी और कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्तित वेतन के रूप में होगा।

[फा. सं. एस – 11012/06/2019-बीमा-I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन: केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से प्रभाव के साथ निगम और कंपनियों के कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थिकरण और पुनरीक्षण), स्कीम, 1974 को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से तदनुसार संशोधित किया जाता है।

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना संख्या का.आ. 326(अ), तारीख 27 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 3019(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2022

S.O. 4898(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, namely :-

1. (1) Short title, commencement and application.—This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022.
- (2) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2017.
- (3) This Scheme shall be applicable to all employees who were in whole-time service in Supervisory, Clerical and Sub-ordinate Staff cadres of the Corporation or Company as on, or after, the 1st day of August, 2017:

Provided that the employees whose resignations had been accepted or whose services had been terminated during the period from the 1st day of August, 2017 and the date of publication of this Scheme, shall not be eligible for the arrears on account of revision under this Scheme.

- (4) Nothing contained in this Scheme shall entitle an employee to claim Overtime Allowance higher than what he had been entitled to prior to the publication of this Scheme.
2. In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, after clause (ff), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - ‘(fg) “third rationalised scales of pay “means the scales of pay as specified in the Eleventh Schedule;
 - (fh) “third rationalised terms” means the scales of pay and allowances as specified in the Eleventh Schedule;’.
3. In the said Scheme, in paragraph 4, after sub-paragraph (17), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

“(18) With effect from the 1st day of August, 2017, the pay and allowances of every employee shall be in accordance with the third rationalised terms. The basic salary of every employee in service as on that date and of every employee appointed after that date but before the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, shall be in accordance with the third rationalised scales of pay as per the provisions of paragraph 6I.

(19) Every employee whose basic salary is fixed in the third rationalised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6I of this Scheme shall be paid, from the date of fixation in the third rationalised scales of pay, for the period commencing from the 1st day of August, 2017 or the date of his appointment, or the date from which he opts to be governed by the provisions of General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022, whichever is later, the

difference of Basic Salary, Personal Pay, if any, Dearness Allowance and other allowances (after deducting the employee's compulsory contribution to the Provident Fund or New Pension Scheme), between the third rationalised terms and second rationalised terms applicable to him:

Provided that –

(a) an employee who had retired from service after the 1st day of August, 2017 shall be paid the difference in the amount, as specified in this sub-paragraph, for the period upto the date of his retirement along with the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this Scheme;

(b) in the case of an employee who had died whilst in service on or after the 1st day of August, 2017, the difference in the amount as specified in this sub-paragraph, for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was paid or is to be paid and the difference in the amount of gratuity, if any, arising out of this Scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was paid or is to be paid:

Provided further that in respect of an employee who is promoted from Supervisory, Clerical and Sub-ordinate Staff cadres to the cadre of officer or converted as Development Officer on or after the 1st day of August, 2017, the difference in the amount referred in this sub-paragraph (excluding the difference in gratuity amount) upto the date of his promotion as officer or conversion as Development Officer, shall be paid on the basis of notional fixation of his basic salary in the third rationalised terms.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, the expression “other allowances” means House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Functional Allowance, Hill Station Allowance, Graduation Allowance, Allowance for Technical Qualification, Transport Allowance, Paradeep Port Allowance, and Fixed Personal Allowance as admissible to an employee.’.

4. In the said Scheme, after paragraph 6H, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“6I. Fixation of Basic Salary in the third rationalised scales of pay and allowances:

- (1) The scales of pay and other allowances in case of every employee in service as on the 1st day of August, 2017, and continuing to be in service on or after the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, shall be in accordance with the third rationalised terms from a date not earlier than,-
 - (i) 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, for Hill Station Allowance, Kit Allowance, Functional Allowance for Audit Assistants and Paradeep Port Allowance; and
 - (ii) the 1st day of August, 2017, for Basic Salary and other allowances.
- (2) The scales of pay and allowances in case of every employee to whom this Scheme applies, shall be in accordance with the third rationalised terms from a date not earlier than the date mentioned in sub-paragraph (1) above or the date of appointment, whichever is later.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) and (2), an employee may choose that the scales of pay and other allowances may be fixed in his case in accordance with Table A or B, as the case may be, of item I of the Eleventh Schedule, with effect from the dates mentioned in sub-paragraph (1) above or any date thereafter but on or before the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, in which case, he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company, as the case may be, within the period as may be stipulated :

Provided that no arrears shall be payable to such employee for the period from the 1st day of August, 2017 to the date so chosen:

Provided further that while calculating the arrears from the 1st day of August, 2017 to the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, if the net difference between the second rationalised total monthly emoluments after deducting Provident Fund / New Pension Scheme and the third rationalised total monthly emoluments after deducting Provident Fund is negative, the same shall be ignored.”.

5. In the said Scheme, in paragraph 11, in the Explanation, after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely: -
“(vii) for the period commencing from the 1st day of August, 2017, shall be computed with reference to the third rationalised terms.”.
6. In the said Scheme, after the Tenth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely:-

‘ELEVENTH SCHEDULE

[See Paragraph 3 (fg) and (fh)]

I. Third rationalised Scales of Pay:

A. Supervisory and Clerical Staff

- (1) Senior Assistant
Rs. **31370-2245(4)-40350-2500(15)-77850**
- (2) Stenographer
Rs. **31370-2245(4)-40350-2500(15)-77850**
- (3) Assistant, Typist, Telephone Operator, Telex Operator, Receptionist, Punch Card Operator, Unit Record Machine Operator, Comptist and other equivalent posts
Rs. **22405-1305(1)-23710-1425(2)-26560-1605(5)-34585-1855(2)-38295-2260(3)-45075-2345(2)-49765-2500(5)-62265**
- (4) Record Clerk
Rs. **20785-900(2)-22585-965(5)-27410-1030(1)-28440-1155(2)-30750-1275(3)-34575-1420(5)-41675-1580(9)-55895**

B. Subordinate Staff

- (1) Driver
Rs. **20785-900(2)-22585-935(14)-35675-1030(2)-37735-1160(9)-48175**
- (2) Other Subordinate Staff
Rs. **18100-740(5)-21800-785(8)-28080-935(1)-29015-970(2)-30955-1160(9)-41395**

Fixation of basic salary and stagnation stages shall be as per the Tables given below:-

Table - A

Fixation of Basic Salary

(Figures in Rupees)

Senior Assistant/ Stenographer		Assistant		Record Clerk		Driver		Other Subordinate Staff	
Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary
20210	31370	14435	22405	13380	20785	13380	20785	11660	18100
21655	33615	15275	23710	13960	21685	13960	21685	12135	18840
23100	35860	16190	25135	14540	22585	14540	22585	12610	19580
24545	38105	17105	26560	15160	23550	15140	23520	13085	20320
25990	40350	18135	28165	15780	24515	15740	24455	13560	21060
27600	42850	19165	29770	16400	25480	16340	25390	14035	21800
29210	45350	20195	31375	17020	26445	16940	26325	14540	22585
30820	47850	21225	32980	17640	27410	17540	27260	15045	23370
32430	50350	22255	34585	18305	28440	18140	28195	15550	24155
34040	52850	23450	36440	19050	29595	18740	29130	16055	24940
35650	55350	24645	38295	19795	30750	19340	30065	16560	25725

37260	57850	26100	40555	20615	32025	19940	31000	17065	26510
38870	60350	27555	42815	21435	33300	20540	31935	17570	27295
40480	62850	29010	45075	22255	34575	21140	32870	18075	28080
42090	65350	30520	47420	23170	35995	21740	33805	18675	29015
43700	67850	32030	49765	24085	37415	22340	34740	19295	29985
45310	70350	33640	52265	25000	38835	22940	35675	19915	30955
46920	72850	35250	54765	25915	40255	23605	36705	20660	32115
48530	75350	36860	57265	26830	41675	24270	37735	21405	33275
50140	77850	38470	59765	27845	43255	25015	38895	22150	34435
		40080	62265	28860	44835	25760	40055	22895	35595
				29875	46415	26505	41215	23640	36755
				30890	47995	27250	42375	24385	37915
				31905	49575	27995	43535	25130	39075
				32920	51155	28740	44695	25875	40235
				33935	52735	29485	45855	26620	41395
				34950	54315	30230	47015		
				35965	55895	30975	48175		

Table - B

Fixation of Basic Salary – Stagnation Stages

[See Paragraph 7, sub paragraph (2)]

(Figures in Rupees)

Senior Assistant / Stenographer		Assistant	
Existing Basic Salary	Revised Basic Salary	Existing Basic Salary	Revised Basic Salary
51750	80350	41690	64765
53360	82850	43300	67265
54970	85350	44910	69765
56580	87850	46520	72265
58190	90350	48130	74765
59800	92850	49740	77265
		51350	79765

Note:

- (1) The basic salary of every employee in service as on the 1st day of August, 2017 and who continues to be in service after the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the respective third rationalised scale of pay with effect from the 1st day of August, 2017 or the date of option, whichever is later.
- (2) The basic salary of every employee appointed after the 1st day of August, 2017 and who continues to be in service after the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the respective third rationalised scale of pay with effect from the date of his appointment or date of option, whichever is later.

- (3) The basic salary of every employee who was in service on or after the 1st day of August, 2017 and who retired or died on or before the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the respective third rationalised scale of pay with effect from the 1st day of August, 2017 or the date of his appointment, whichever is later:

Provided that in respect of the employees in the scale of Assistant, who have already been granted as on the 31st day of July, 2017, one, two, three, four, five, six or seven stagnation increments, in the second rationalised scales of pay, their basic salary in the relevant third rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth, fifth, sixth or seventh stage above the maximum of the third rationalised scale:

Provided further that in respect of the employees in the scale of Senior Assistant or Stenographer, who have already been granted as on the 31st day of July, 2017, one, two, three, four, five or six stagnation increments, in the second rationalised scale of pay, their basic salary in the relevant third rationalised scale of pay shall be fixed at the corresponding first, second, third, fourth, fifth or sixth stage above the maximum of the third rationalised scale.

II. FUNCTIONAL ALLOWANCES:

- (1) With effect from the 1st day of August, 2017, the employees performing the following functions shall be paid Functional Allowances as under:-

(i)	Subordinate Staff engaged in either as Key Holder or for carrying cash to or from Bank, as his regular and main function, where the amount of cash carried during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more,	Rs. 1000/- p.m.
(ii)	Other Subordinate Staff working as Liftmen, Machine Operators, Head Peons, Jamadars, Daftaries, AC Plant Operators and Heavy Vehicle Drivers, who were assigned these functions before 1 st day of January, 2006,	Rs. 165/- p.m.
(iii)	Assistant (or Senior Assistant, in the event of non-availability of Assistant) engaged in handling cash in an office, as his regular and main function, where the amount of cash transactions during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more,	Rs. 2120/- p.m.
(iv)	Telex Operators, Punch Card Operators, Unit Record Machine Operators and Comptists, who were assigned these functions before 1 st day of January, 2006	Rs. 60/- p.m.
(v)	Stenographer to Chairman-cum-Managing Director, Scale VII, Scale VI and equivalent positions.	Rs. 75/- p.m.

- (2) With effect from the 1st day of the month following publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, the employees performing the functions of Audit Assistants shall be paid Functional Allowance @ Rs. 1200/- p.m.

NOTE:

- (1) The number and names of persons eligible to draw the Functional Allowance shall be determined by the Chairman-cum-Managing Director or by an officer authorised by him in this behalf, depending upon the load of work and administrative requirements.
- (2) An employee shall draw only one Functional Allowance at a time.
- (3) An employee proceeding on leave shall be paid the Functional Allowance during his leave period other than periods of extra ordinary leave, provided that he resumes work in the same position on the expiry of his leave.
- (4) No employee shall, as a matter of right, claim to be allotted a particular portfolio of work in order to avail of the Functional Allowance attaching to that position or post.

- (5) No employee shall refuse to work in a position carrying a Functional Allowance or make it a condition that he be paid such allowance where, because of absence of the incumbent or temporary pressure of work, the employee is assigned such work by the Head of his Office.
- (6) Functional Allowance under any of the above clauses, or any part thereof, shall not be treated as part of basic salary and shall not be counted for the purpose of any allowance or for the purpose of any other service or terminal benefits.

III. DEARNESS ALLOWANCE:

- (1) The scale of dearness allowance applicable to the employees shall be determined as under: -

Index : All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

Base : Index No.6352 in the series 1960 = 100

Rate of dearness allowance: - For every four points in the quarterly average over 6352 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of 0.08 per cent of Basic Pay.

Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall.

- (2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) above 6352 points in the sequence 6352-6356-6360-6364 and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.
- (3) The final figures of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 1960) as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.
- (4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation.- For the purposes of this item, "quarter" shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. ALLOWANCE FOR TECHNICAL QUALIFICATIONS:

- (1) A confirmed employee who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (2) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination or the 1st day of August, 2017, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (3) of the said table, namely:-

Table

Sr. No.	Examination	Allowance for Technical Qualification (per month)
(1)	(2)	(3)
1.	Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute: On completion of: (i) Licentiate (ii) Associateship (iii) Fellowship	Rs.555/- Rs.1505/- Rs.2575/-
2.	Institute of Actuaries: On passing each subject	Rs.555/-

3.	Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountant: On completion of: (i) Intermediate Examination (ii) Final Group A or Group B (iii) Final Group A and Group B	Rs.1080/- Rs.1845/- Rs.2575/-
4.	On completion of Master of Business Administration of a recognised University or Institution (All India Council for Technical Education approved course)	Rs.2575/-

Provided that not more than one allowance for technical qualification shall be permissible to him.

- (2) The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the employee concerned.
- (3) Where the employee has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of allowance for technical qualification shall be suitably reduced or may not be admissible depending on the quantum of benefit already received.
- (4) Such employee on completion of service of one year after reaching the maximum of the scale shall receive the allowance for technical qualification amounting to not less than one-half of the full rate and after a further service of one year, the said allowance for technical qualification shall be paid in full.
- (5) The allowance for technical qualification as mentioned in column (3) of the table above, or any part thereof, shall not be counted for the purpose of any allowance or for any service or terminal benefit.

Explanation.- For the purpose of entry mentioned at serial number 4, in column (2), "recognised University or Institution" shall mean a University or Institution recognised by the University Grants Commission.

V. GRADUATION INCREMENT OR ALLOWANCE:

(1) GRADUATION INCREMENTS OR ALLOWANCE TO ASSISTANT:

With effect from the 1st day of August, 2017, the Graduation Increments or Allowance to employees in the scale of Assistant shall be paid as under: -

- (a) an employee who is appointed or promoted to any post in the scale of Assistant and who has qualified as a Graduate of a recognised University on or after the 1st day of January 1973 but before the 1st day of August 2007, and has not reached the maximum of the scale shall be granted two increments in the scale with effect from the publication of results of the examination, or 1st day of the month following the publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, or the date of appointment in the scale of Assistant, whichever is later, provided that he has not already received graduation increment or qualification pay for having qualified as such graduate or any advance increment on appointment, otherwise than by way of protection of emoluments granted to ex-servicemen:

Provided that if an employee entitled to increments for graduation is drawing Basic Salary of Rs 59765/-, only one increment for graduation shall be granted to him;

- (b) an employee in the scale of Assistant who has qualified as a graduate from a recognised University before the 1st day of August, 2007 and has reached the maximum of the scale shall be paid revised Graduation Allowance with effect from the 1st day of August, 2017, as per the table below :-

Table

Stage	Graduation Allowance per month with effect from 1 st August, 2017
One year after reaching the maximum of the scale	Rs.920/-
Two years after reaching the maximum of the scale	Rs.1625/-

- (c) The Graduation Allowance, or any part thereof, shall not be counted for the purpose of any Allowance or for any service or terminal benefit.

(2) GRADUATION ALLOWANCE TO RECORD CLERKS:

An employee in the scale of Record Clerk, who has qualified as Graduate from a recognised University before the 1st day of August, 2007 shall be paid Graduation Allowance of Rs.610/- p.m. with effect from the date of publication of results of the examination or, from the date of promotion as Record Clerk or, the first day of August, 2017, whichever is later.

Note: The Graduation Allowance payable to employees in the scale of Record Clerk shall not be treated as Special Allowance nor shall it be treated or counted as basic Salary for any purpose and it shall be withdrawn on promotion of the employee.

Explanation.- For the purpose of this item "recognised university" means a University recognised by the University Grants Commission.

VI. HOUSE RENT ALLOWANCE:

- (1) With effect from the 1st day of August, 2017, House Rent Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as shown in the Table below:-

Table

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate per month (3)
1	Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	10% of pay subject to maximum of Rs.7,840/- per month
2	Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned at serial number 1, and all cities in the State of Goa	8% of pay, subject to minimum of Rs.1,475/- and maximum of Rs.6,620/- per month
3	All other places	7% of pay, subject to minimum of Rs.1,400/- and maximum of Rs.6,370/- per month

Note :

- (1) For the purpose of this item, the population figure shall be those in the latest Census Report.
- (2) Cities shall include their Urban Agglomerations.
- (3) "Pay" means basic salary and stagnation increments as per sub-paragraph (2) of paragraph 7.
- (4) Payment of House Rent Allowance to employees transferred under the Transfer and Mobility Policy under paragraph 18 shall be subject to provisions of sub-paragraph (1), clause (c) of the said paragraph.
- (2) Employees, who are allotted residential accommodation or staff quarters, shall not be entitled to any House Rent Allowance, but they shall pay to the Corporation or Company, for such accommodation, the appropriate License Fee as may be decided by the Board of the Corporation or Company from time to time. Provided that an employee who has been allotted residential accommodation or staff quarters before the 1st day of April, 1983, and who has been in receipt of House Rent Allowance as on date immediately preceding the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, in terms of item VI of the Fourth Schedule of the said Scheme shall continue to receive such House Rent Allowance so long as he continues to occupy the same residential accommodation or staff quarters allotted by the Corporation or Company.

VII. CITY COMPENSATORY ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of August 2017, the City Compensatory Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as under:-

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate per month (3)
1	(Metro Cities) Mumbai, Navi Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad,	3% of pay subject to maximum of

	Bengaluru, Hyderabad, Pune, Faridabad, Ghaziabad, Noida and Gurgaon	Rs.1555/- per month
2	(A Class) Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in serial number 1, and all cities in the State of Goa	2.5% of pay subject to maximum of Rs.1460/- per month
3	(B Class) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair	2% of pay subject to maximum of Rs.1255/- per month
4	(C Class) All other cities	NIL

Note :

- (1) For the purpose of this item, the population figure shall be those in the latest Census Report.
- (2) Cities shall include their Urban Agglomerations.
- (3) "Pay" means basic salary and stagnation increments as per sub-paragraph (2) of paragraph 7.
- (4) Payment of City Compensatory Allowance to employees transferred under the Transfer and Mobility Policy under paragraph 18 shall be subject to provisions of sub-paragraph (1), clause (c) of the said paragraph.

VIII. HILL STATION ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, the Hill Station Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as under:-

Sl. No. (1)	Place of posting (2)	Rate per month (3)
1.	Posted at places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level	2.5% of Basic Salary subject to maximum of Rs.1000/- per month
2.	Posted at places situated at a height of 1000 metres and over, but less than 1500 metres above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central or State Governments for their employees	2% of Basic Salary subject to maximum of Rs.790/- per month
3.	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 metres and over above mean sea level	2% of Basic Salary subject to a maximum of Rs.790/- per month

Note: Basic Salary includes stagnation increments, if any, as per sub-paragraph (2) of paragraph 7.

IX. KIT ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, employees transferred to any of the hill stations listed in item VIII shall be paid a Kit Allowance of Rs.2250/-. The Kit Allowance shall not be payable on transfer from one hill station to another if the same was drawn at any time during the preceding three years.

X. FIXED PERSONAL ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of August, 2017, the Fixed Personal Allowance payable to employees on account of computerisation shall stand revised as shown in the Table given below:-

Table

Sl. No.	Employees in the Scale of Pay (as on 1.11.1993) of	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)
		Rs.
1.	Senior Assistant	2500
2.	Stenographer	2500
3.	Assistant, etc.	2500
4.	Record Clerk	1580
5.	Driver	1160
6.	Other Subordinate Staff	1160

Note: The revised Fixed Personal Allowance as shown in the Table above shall reckon as Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave.

XI. TRANSPORT ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of August, 2017, every confirmed employee shall be paid Transport Allowance at the rate of Rs. 680/- per month.

XII. PARADEEP PORT ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2022 in the Official Gazette, or date of appointment, whichever is later, every confirmed employee posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rs. 265/- per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as basic salary for any purpose.”.

XIII The next revision due from August, 2022 will be in the form of a variable pay based on the performance of the company and the employee.’.

[F. No. S-11012/06/2019-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum. — The General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 is amended from the date specified in the notification. It is certified that no employee of the corporation or company is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Note: - The Principal Scheme was published in the gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 326 (E) dated the 27th May, 1974 and lastly amended *vide* number S.O. 3019 (E) dated 13th September, 2017.